वित्त विभाग का परिचय:
कमांक/1613/आर/815/चार/ब-1/11
भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2012

विषय:— वर्ष 2013-14 का बजट कार्यक्रम।

संदर्भ—वित्त विभाग का परिचय, कमांक 1613/आर/815/ब-1/चार दिनांक 22/08/2012।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान को 31 जनवरी, 2013 तक अन्तिम रूप दिया जाकर फरवरी माह में विधान सभा को प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 की राजस्व प्राप्तियों एवं आयोजनकर बजट अनुमानों पर उप सचिव स्तर की चर्चा माह नवंबर, 2012 में आयोजित की जाना होगी। इस हेतु विस्तृत कार्यक्रम इस पत्र के साथ संलग्न है।

2/— वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान के लिये निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का कदम करें :-

(i) उप सचिव स्तर पर बजट चर्चा यथासंभव विभागाध्यक्ष एवं वित्तीय सलाहकार के साथ ही की जायेगी। इस हेतु प्रतिनिधि मान्य नहीं होंगे। राजस्व प्राप्तियों एवं आयोजनकर बजट प्रस्तावों पर चर्चा का केंद्रित संलग्न प्राप्तित है जो वित्त विभाग की वेबसाइट www.mp.gov.in/finance पर भी उपलब्ध है।

(ii) विभागों की बजट बुक में बजट प्राधान्य के अलावा पदों से संबंधित विवरण भी मुद्रित होता है। इस प्रकार दिनांक 30/6/2012 की स्थिति में पदों की जानकारी बजट बुक में प्रस्तुत की जायेगी। अतः विभागाध्यक्ष से
प्रमाणित की गई, आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा जानकारी प्रपत्र—“अ” में प्रदान की जाये । यह जानकारी मुद्रा साफ्टवेयर में भी प्रस्तुत की जाये ।

बजट नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि बजट प्रस्ताव के साथ दिये जाने वाले पदों के विवरण में यह प्रमाणित किया जाये कि "पदों के संबंध में दिये गये विवरण में उल्लेखित समस्त पदों की व्यक्तित्वित सक्षम स्तर से प्राप्त है"।

बजट प्रस्ताव तैयार करते समय यह ध्यान रखिए जाने कि वेतन मद में केवल भरे पदों के लिए ही बजट प्रादर्शक किया जाना है एवं यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में भुगतान किये जाने वाले बकाया एरियां (एनव. वेतन पूणिताणिक नियम, 2009 के अनुसार देख) की चतुर्थ किस्त की राशि सम्मिलित कर ली गई है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 से कार्यभारत एवं आकारिकता से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के वेतन भरतियों हेतु पृथक उद्देश्य शीर्ष #19 खोला गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट प्रस्ताव तैयार करते समय इसका विशेष ध्यान रखिए जाने।

प्रपत्र “अ”

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र</th>
<th>स्थान का नाम व शीर्ष</th>
<th>आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कार्यभारत का नाम व कोड</th>
<th>पदनाम</th>
<th>वेतनमात्र (पे-पैंट)</th>
<th>खेड-पैंट</th>
<th>स्वीकृत पद (संयक्षेप पद सहित)</th>
<th>भरे पद</th>
<th>शिलापद</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

इसके अलावा विभाग अंतर्गत संविदा आधार पर कार्यभारत कर्मचारियों की जानकारी निम्नानुसार प्रपत्र—ब पर दी जावे । यह जानकारी भी मुद्रा साफ्टवेयर में दी जाये ।
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र</th>
<th>स्कीम का नाम</th>
<th>पदनाम</th>
<th>पद पर कार्यरत व्यक्ति को मासिक युग्मान की दर (राशि रूपये में)</th>
<th>श्रीरुप 1115 युक्त पद</th>
<th>भरे पद</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(iii) मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित मनोरंजन कर एवं विलासिता कर को मुख्य लेखा शीर्ष 0023—होटल प्राप्ति कर के स्थान पर मुख्य लेखा शीर्ष 0045—वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क के अन्तर्गत वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण अवसरचना तथा सड़क विकास कर से संबंधित प्राप्तियों जो मुख्य लेखा शीर्ष 0853—अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग में वर्गीकृत किया जाता था, को मुख्य लेखा शीर्ष 0035—कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर के अन्तर्गत वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

इसी प्रकार वन विकास उपकर के अन्तर्गत प्राप्त राशि को भी जो मुख्य लेखा शीर्ष 0406—वानिकी और वन जीवन में वर्गीकृत की जाती थी, को अब मुख्य लेखाशीर्ष 0045 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 112—अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत उपकरों से प्राप्त में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया है। अतः इन मदों को संशोधित लेखाशीर्षों में वर्गीकृत किया जायें।

(iv) अनुपयोगी योजनाओं को समाप्त करने हेतु समान प्रकार की योजनाओं को मिलाकर एकजाई योजना का सुसंगत नामकरण किया जाना चाहिये।

सामान्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तीनों सेंगेमेंट में एक ही प्रकार की योजना होने पर उनके स्कीम कोड/नामकरण समान रखे जायें।

(v) मांग संख्याओं का युक्तियुक्तकरण एवं जिन मांग संख्याओं में सिर्फ रूपये 1000 का प्राप्तवाण है, उन्हें समाप्त किया जायें।
(vi) विल्ल विभाग के परिष्कार करानें क्रमांक 925/आर 376/चार/ब-1/2010
dिनांक 14/10/2010 के द्वारा उद्देश्य शीर्ष # 42–सहायक अनुदान को
सहायता अनुदान सामान्य के रूप में वर्गीकृत किया जाय। इस उद्देश्य शीर्ष
के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष # 42–001 को विलोपित किया गया है एवं इस
मद में अब कोई भी राशि वर्गीकृत नहीं होगी। उद्देश्य शीर्ष # 42–002 में
वेतन, मानदेय आदि के लिये अनुदान वर्गीकृत किये जायेंगे तथा शेष राशि
पोषण अनुदान # 42–004 –पोषण अनुदान (वेतन, मानदेय आदि को
छोड़कर ) के अन्तर्गत वर्गीकृत की जायेंगी। उद्देश्य शीर्ष # 42–008 अन्य
व्यय के अन्तर्गत सिफ ऐसे प्राक्षान ही प्रस्तावित किये जानें चाहिये जिन्हें
किसी भी अन्य विस्तृत शीर्ष में प्रस्तावित करना संभव न हो।

राज सहायता (Subsidy) हेतु पृथक उद्देश्य शीर्ष # 44–राज सहायता खोला
गया है। यह सुनिश्चित किया जाये कि राज सहायता से संबंधित सभी वजट
प्राक्षान जो, कतिपय विभागों द्वारा, अभी भी उद्देश्य शीर्ष # 42 में भी
वर्गीकृत किये जा रहे हैं, को उद्देश्य शीर्ष # 44–राज सहायता के अन्तर्गत
वर्गीकृत किया जायें。

उद्देश्य शीर्ष # 44–008 अन्य व्यय के अन्तर्गत सिफ ऐसे प्राक्षान ही
प्रस्तावित किये जानें चाहिये जिन्हें किसी भी अन्य विस्तृत शीर्ष में प्रस्तावित
करना संभव न हो।

(vii) महालेखाकार मध्यप्रदेश द्वारा पूँजीत एवं राजस्व मद में के वर्गीकरण के
संबंध में उठाये गये निम्न बिंदुओं का वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट
प्रस्ताव तैयार करते समय विशेष ध्यान रखा जाये –

- सहायक अनुदानों का पूँजीत शीर्ष में वर्गीकरण यथासंभव न
  किया जाये। पूँजीत परिसप्लियों के निर्माण हेतु दीये गये
  अनुदानों को उद्देश्य शीर्ष # 45–001 में वर्गीकृत किया
  जाये।
लघु निर्माण /भूमध्य आदि से संबंधित प्रस्तावों को पूंजीगत मद्दत में वर्गीकृत न किया जाये।

वृद्ध निर्माण कार्यों को राजस्थान मद्दत में वर्गीकृत न किया जाये

(viii) जेपुर बजट की चर्चा, बजट चर्चा के साथ ही की जायगी। योजनाओं में gender perspective को ध्यान में रखकर महिलाओं के विकास के लिये किस प्रकार अधिक राशि प्राप्तानिक की जा सकती है, के प्रयास किये जायें।

(ix) परिणामी बजट अंतर्गत वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में अगस्त, 12 तक विभाग द्वारा चिन्हित मापनीय प्रदेश (quantifiable deliverables) में लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्ति की जानकारी भी बजट चर्चा के साथ लाई जानी चाहिये, ताकि वर्ष 2013–14 हेतु उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित करना संभव हो सके।

(x) कर एवं कर–भिन्न राजस्थान को छोड़कर केन्द्र एवं अन्य बाहरी स्रोतों से प्राप्त होने वाली राशियाँ, यथा सहायक अनुदान, ऋण तथा ऋण एवं अंशिम की वसूली की जानकारी निम्नाकित प्रस्तुत पर दी जाये । यह जानकारी मुद्रा साफटवेयर में भी दी जाये ।

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>योजना का नाम</th>
<th>प्राप्तियाँ</th>
<th>कुल प्राप्तियाँ</th>
<th>रिमार्क</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>केन्द्र से प्राप्तियाँ</td>
<td>ऋण वसूली</td>
<td>अन्य</td>
<td>5.</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(xi) कर राजस्थान संग्रहण से संबंधित विभागों की चर्चा में करों में दी गई छूट/आश्वासन के फलस्वरूप वर्ष 2011–12 के राजस्थान की विभिन्न मद्दत में हुई कमी की राशि की जानकारी दी जाये । इसे आगामी वर्ष के बजट के समय विधानसभा को प्रस्तुत करना प्रस्तावित है, अतः कमी की राशि की गणना सही विधि अपनाकर की जानी चाहिये ।
(xii) राज्य शासन की संस्थाओं को सीधे प्राप्त होने वाली केंद्रीय रहस्यता (आफ केंद्र) राशियों का विवरण मुद्रा साफ्टवेयर में निर्धारित प्रारूप अनुसार प्रस्तुत किया जाये।

(xiii) स्कीम कोड जिनमें वर्ष 2011-12 में रुपये 1 करोड़ या उससे अधिक के प्राप्त थे, उनमें बचत एवं समर्पित राशि की साबित की जानकारी भी संलग्न प्रपत्र में बजट वर्षों के समय लायी जाये। वर्तमान वित्तीय वर्ष की भाति आयमार्गी वित्तीय वर्ष में भी आयोजना मद की राशि का बजट आवंटन विभागों को तैनातिक रूप से उपलब्ध कराया जाना प्रत्यावश्य है। इस व्यवस्था अंतर्गत तैनात के अंत में शेष राशि व्यय करने से रोक दी जायेगी तथा इस बचत का उपयोग अनुयुक्त अनुमानों के लिये किया जायेगा।

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>स्कीम कोड</th>
<th>11-12 में बजट प्राप्ताना</th>
<th>बचत राशि</th>
<th>समर्पित राशि</th>
<th>बचत/समर्पित कारणों पर टिप</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

अतः आयोजना मद में प्राप्ताना की जाने वाली राशि के तैनातिक व्यय का प्रस्तावित प्रवरण दिया जाये। यह जानकारी मुद्रा साफ्टवेयर में भी दी जाये। मुद्रा साफ्टवेयर में प्रतिमाह की राशि का विवरण अंकित करना होगा जिसे साफ्टवेयर द्वारा स्वयमेव तैनातिक गणना में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>योजना का नाम</th>
<th>कुल प्राप्ताना</th>
<th>तैनातिक प्रस्तावित व्यय (माह अप्रैल, 2013 से मार्च 2014 तक)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>प्रथम माह तैनात</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(xiv) राज्य शासन द्वारा विभिन्न विभागों/संस्थाओं को प्रीमियम/भू-मात्रक पर शासकीय भूमि आवंटित की जाती है। कुछ विभागों/संस्थाओं द्वारा उपरोक्तानुसार आवंटित भूमियों का प्रीमियम/भू-मात्रक शासकीय खजाने में जमा नहीं किया गया है। अतः वसूली हेतु लंबित प्रीमियम/भू-मात्रक की राशि का विवरण निम्न प्रारूप में दिया जाये। यह जानकारी जिस विभाग
व्यक्तिगत जमा खाता (ब्याज रहित)

<table>
<thead>
<tr>
<th>का.सं.</th>
<th>आजिटित भूमि जिला/रक्ष्य</th>
<th>31/3/12 की स्थिति में कसूली हेतु लेबिट राशि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>प्रीमियम</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(xv) विभागों द्वारा संभालित व्यक्तिगत जमा खाता, के-डिपाविज्ञ अथवा बैंक खातों की जानकारी प्रपत्र-1/2/3/4 पर दी जाये। यह जानकारी मुद्रा साफ्टवेयर में भी दी जाये।

प्रपत्र-1

<table>
<thead>
<tr>
<th>का.सं.</th>
<th>खाता क्रमक</th>
<th>कोषालय का नाम जिसमें खाता है</th>
<th>खाता किसके नाम से है</th>
<th>खाते का उद्देश्य</th>
<th>बिल विभाग की सहमति के आदेश का क्रमक एवं दिनांक</th>
<th>खाता कज कब से संचालित है</th>
<th>बिल 3 वर्ष (09-10 से 11-12 तक) में खाते में जमा/आहट की स्थिति</th>
<th>31/3/12 की स्थिति में जमा राशि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>बिलियर्ड वर्ष</td>
<td>जमा राशि</td>
<td>आहट की राशि</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

प्रपत्र-2

<table>
<thead>
<tr>
<th>का.सं.</th>
<th>खाता क्रमक</th>
<th>कोषालय का नाम जिसमें खाता है</th>
<th>खाता किसके नाम से है</th>
<th>खाते का उद्देश्य</th>
<th>बिल विभाग की सहमति के आदेश का क्रमक एवं दिनांक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>खाता कब से संचालित है</td>
<td>वित्त 3 वर्ष (09-10 से 11-12 तक) में खाते में जमा /आर्थिक की सिफारिश</td>
<td>वित्त 3 वर्ष (2009-10 से 2011-12) में खाते में जमा सार्थक</td>
<td>31/3/12 की सिफारिश में जमा राशि</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>वित्तीय वर्ष</td>
<td>जमा राशि</td>
<td>आर्थिक राशि</td>
<td>वर्ष</td>
<td>राशि</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

के-डिपाविज़िट

प्रणाली-3

<table>
<thead>
<tr>
<th>को</th>
<th>वित्त विभाग द्वारा राशि के-डिपाविज़िट में जमा करने हेतु जारी करार का क्रमांक / दिनांक</th>
<th>जमा राशि</th>
<th>जमा करने का उद्देश्य</th>
<th>31/3/12 की सिफारिश में जमा राशि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

बैंक खाता (बचत /चालू /सावधान जमा (FD))

प्रणाली-4

<table>
<thead>
<tr>
<th>को</th>
<th>कार्यालय का नाम</th>
<th>बैंक का नाम</th>
<th>खाते का प्रकार</th>
<th>वातावरण, सावधान जमा (FD)</th>
<th>जमा करने का उद्देश्य</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>खाता कब से संचालित है</th>
<th>वित्त विभाग की सहमति के आदेश का क्रमांक एवं दिनांक</th>
<th>वित्त 3 वर्ष (09-10 से 11-12 तक) में खाते में जमा /आर्थिक की सिफारिश</th>
<th>वित्त 3 वर्ष (2009-10 से 2011-12) में खाते में जमा सार्थक</th>
<th>31/3/12 की सिफारिश में जमा राशि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>वित्तीय वर्ष</td>
<td>जमा राशि</td>
<td>आर्थिक राशि</td>
<td>वर्ष</td>
<td>राशि</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(xvi) वित्त विभाग के परिषद क्रमांक 431/1140/ब-4/09 दिनांक 25/11/2009 द्वारा प्रदेश के बजट से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों को अन्तरित की जाने वाली राशि /दिये जाने वाले अनुदान को वर्गीकृत किये जाने हेतु विभागीय मुख्य लेखा शीर्ष के अन्तर्गत पाथक लघु शीर्ष को जाने का प्रावधान किया गया है। अतः त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिये लघु शीर्ष 196,197 एवं 198 तथा नगरीय निकायों हेतु लघु शीर्ष 191,192 एवं 193 वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट प्रस्ताव तैयार करते
समय भी उपरोक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार लघुशीर्ष वार बजट प्रस्ताव तैयार किये जायें।

(xvii) महालखाकार मध्यप्रदेश द्वारा यह आपत्ति ली गई है कि विभागीय बजट प्रावधानों में अधिकांश प्रावधानित राशि लघु शीर्ष 800— अन्य प्रावधानों/अन्य व्यय के अन्तर्गत रखी जाती है जो व्यय के उपयुक्त वर्गीकरण की दृष्टि से उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 804/आर 1220/2010/ब-1/चार दिनांक 17/09/2010 द्वारा भी विभागों अवगत कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट प्रस्ताव तैयार करते समय बिना किसी ओप्शन के लघु शीर्ष 800— विशेष व्यय के अन्तर्गत राशि प्रावधानित न की जाये।

(xviii) कृपया यह सुनिश्चित करें कि वर्ष 2013–14 से संबंधित बजट प्रस्ताव मुद्रा सोफ्टवेयर के माध्यम से तैयार सॉफ्टवेयर सहित दिनांक 30/10/2012 तक वित्त विभाग में प्राप्त हो जायें।

(xix)वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट से संबंधित जारी किये गये विभिन्न परिपत्र वित्त विभाग की वेबसाइट www.mp.gov.in/finance पर भी उपलब्ध हैं। कृपया परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त जानकारियाँ भी वित्त विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

अनुशोध है कि संपूर्ण जानकारी के साथ बजट चर्चा में उपरोक्त रहने का निर्देश सर्वसंबंधितों को दिये जाने का कृपया कष्ट करें।

संलग्न — बजट चर्चा कार्यकम

(अजय नाथ) 23.10.2012

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग
प्रतिलिपि :-

1- निवंतक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश, इंदौर
सचिव, लोक आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल

2- राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्य प्रदेश भोपाल
सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल

3- स्टॉक अफिसर/निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, म. प्र. शासन, वित्त विभाग

4- समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी, मध्यप्रदेश

5- समस्त अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, म. प्र. शासन, वित्त विभाग

6- वित्तीय सलाहकार, आदिम जाति, अनुपूर्व जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

7- वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, वित्त विभाग

8- वित्त विभाग (सर्वकालिक बजट नियंत्रण अधिकारियों को सूचित करें)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(भीमेंद्र कुमार)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
<table>
<thead>
<tr>
<th>बजट शाखा</th>
<th>विभाग</th>
<th>बजट निपटन अभियान</th>
<th>दिनांक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B-1</td>
<td>योजना: आधिकारिक एवं साफ्टी कोम</td>
<td>2315 संचालक, आधिकारिक एवं साफ्टी कोम, नियमावलि भवन, भोपाल</td>
<td>02-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री सिद्धार्थ जुगार</td>
<td>2316 सदन साहित्य, सम्मथ वोल्वन मंडल</td>
<td>02-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>उप सचिव</td>
<td>वाणिज्यिक कार</td>
<td>0501 सचिव, म.प. प्रदेश साेलन, प्रारंभिक कार</td>
<td>03-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>Tel. 2512288</td>
<td>0502 आयुक्त, वाणिज्यिक कार इंडोर</td>
<td>03-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Md. 9425385609</td>
<td>0503 महाराजशंकर, पंडित्व एवं एम्पकक असाइट कोम (म. प.)</td>
<td>05-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0504 आयुक्त, आयुक्त, म.प. प्रदेश साेलन</td>
<td>05-Nov-12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0505 असाइट कार इंडोर</td>
<td>05-Nov-12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>परिवहन</td>
<td>0801 सचिव, म. प. साेलन, परिवहन विभाग</td>
<td>06-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0802 आयुक्त, परिवहन</td>
<td>06-Nov-12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0803 परिवहन संकलन एवं परिवहन अद्वितीय अभियान</td>
<td>06-Nov-12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>खरिज साधन</td>
<td>1202 संचालक, भीमनुभोज का भीमनुभोज</td>
<td>08-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>उज्जैन विभाग</td>
<td>1301 सचिव, म. प. उज्जैन, उज्जैन विभाग</td>
<td>08-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1302 मुख्य नियुक्त निवासकक एवं साफ्टी कोम</td>
<td>08-Nov-12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>बाजार एवं निवासकक उज्जैन विभाग</td>
<td>08-Nov-12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B-2</td>
<td>आदाय एवं परीक्षण</td>
<td>3201 सचिव, म. प. मालम, आदाय एवं परीक्षण</td>
<td>02-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री श्री कुमारस्वामी</td>
<td>3203 संचालक, नगर एवं ग्राम निवास</td>
<td>02-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>उप सचिव</td>
<td>3207 महाराजथंडी, राजस्थानी विभाग</td>
<td>02-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tel. 2512272</td>
<td>1802 संचालक, म. प. मालम, औरंगाबाद</td>
<td>03-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Md. 9424417816</td>
<td>1102 आयुक्त, अन्नपूर्णा</td>
<td>15-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>श्री कस्मिन्द सिंह</td>
<td>1105 पंडित्व ने का एवं संस्कृति, उज्जैन</td>
<td>15-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>उप सचिव</td>
<td>1106 मुख्य नियुक्त नीवासकक, भारत भवन</td>
<td>15-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tel. 2512280</td>
<td>परिवहन</td>
<td>3302 आयुक्त, परिवहन</td>
<td>06-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>Md. 9339361547</td>
<td>संस्कृति</td>
<td>3004 संचालक, संस्कृति एवं वाणिज्य</td>
<td>08-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>3005 आयुक्त, यूरोपीय एवं मेक्सिकाल विभाग</td>
<td>08-Nov-12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3009 संचालक, भवन भवन</td>
<td>08-Nov-12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>विभाग निवासकक</td>
<td>4502 संचालक, विभाग निवास</td>
<td>06-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B-3</td>
<td>उज्जैन शिक्षा</td>
<td>3802 आयुक्त, महाविद्यालयी शिक्षा</td>
<td>08-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>दृष्टि उपकरण</td>
<td>स्टूडल शिक्षा</td>
<td>2000 संचालक, स्टूडल शिक्षा</td>
<td>09-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>उप सचिव</td>
<td>2004 आयुक्त वन शिक्षा कोम</td>
<td>16-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tel. 2512318</td>
<td>2006 संचालक, जूनियर वन शिक्षा (एवं सो.सो.)</td>
<td>16-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Md.9425347319</td>
<td>तकनीकी शिक्षा</td>
<td>4203 संचालक, तकनीकी शिक्षा</td>
<td>08-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री श्री कुमारस्वामी</td>
<td>4206 संचालक, रेलवे एवं प्रैक्टिकल कोम</td>
<td>09-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अन्तर सचिव</td>
<td>मूलना वैकाशिक प्रौद्योगिकीको</td>
<td>5601 सचिव, मूलना वैकाशिक प्रौद्योगिकीको</td>
<td>19-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>Tel. 2512202</td>
<td>रेलवे विभाग</td>
<td>5701 सचिव, रेलवे विभाग एवं रेलवे प्रौद्योगिकीको</td>
<td>19-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>Md.7956224535</td>
<td>विभाग एवं वैकाशिक प्रौद्योगिकीको</td>
<td>4101 सचिव, म.प. प्रदेश, विभाग एवं वैकाशिक प्रौद्योगिकीको</td>
<td>19-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>क्षेत्र एवं युवक कवितान कवितान</td>
<td>0903 संचालक, वैकाशिक, एवं युवक कवितान</td>
<td>20-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B-4</td>
<td>खाद्य एवं नागरिक अपूर्ति उपभोक्ता</td>
<td>3902 संचालक, खाद्य एवं नागरिक अपूर्ति उपभोक्ता</td>
<td>21-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>दृष्टि उपकरण</td>
<td>2903 शिक्षा, म.प. संस्कृति विभाग</td>
<td>20-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>उप सचिव</td>
<td>2906 नियुक्त नियुक्त नियुक्त, भोपाल</td>
<td>21-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tel. 2512318</td>
<td>ग्रामीण विभाग</td>
<td>3002 संचालक, ग्रामीण विभाग</td>
<td>22-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>Md.9425347319</td>
<td>ग्रामीण विभाग</td>
<td>1502 आयुक्त (सहकारिता) एवं पंडित्व ग्रामीण संस्थाएँ, भोपाल</td>
<td>22-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री श्री कुमारस्वामी</td>
<td>1402 संचालक, कृषि, भोपाल</td>
<td>23-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>उप सचिव</td>
<td>1405 संचालक, कृषि अधिकारिकों, भोपाल</td>
<td>23-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tel. 2512281</td>
<td>पद्धति प्रशासन</td>
<td>3502 संचालक, पद्धति प्रशासन कोम</td>
<td>24-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>कार्यक्रम नं.</td>
<td>क्षेत्र</td>
<td>कार्यकर्ता</td>
<td>कार्यक्रम का विवरण</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-----</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>राजस्व प्राधिकृत एवं आयोजनात्मक बजट वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारित कार्यक्रम</td>
<td>ग्रामीण विकास</td>
<td>5802</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>प्रभावत एवं समाज कल्याण</td>
<td>2203</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>संचालक, राजस्व</td>
<td>2602</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>राजस्व प्रबंधन विभाग</td>
<td>5202</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>अनुदान, राजस्व, संचालक</td>
<td>5203</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>उद्यमिका एवं राजस्व प्रसंस्करण</td>
<td>5901</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>संचालक, उद्यमिका</td>
<td>5902</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>पुर्वसम</td>
<td>7401</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>संचालक, संचालक</td>
<td>7402</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>अनुदान, भु. भविष्यत के प्रति एवं राजस्व ब्लॉक विभाग</td>
<td>7408</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>विभाग</td>
<td>7409</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>विभाग</td>
<td>7410</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>राजस्व प्रबंधन विभाग</td>
<td>5202</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>संचालक, राजस्व, संचालक</td>
<td>5203</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>उद्यमिका एवं राजस्व प्रसंस्करण</td>
<td>5901</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>संचालक, उद्यमिका</td>
<td>5902</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>पुर्वसम</td>
<td>7401</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>संचालक, संचालक</td>
<td>7402</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>अनुदान, भु. भविष्यत के प्रति एवं राजस्व ब्लॉक विभाग</td>
<td>7408</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>विभाग</td>
<td>7409</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>राजस्व प्रबंधन विभाग</td>
<td>5202</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>संचालक, राजस्व, संचालक</td>
<td>5203</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>उद्यमिका एवं राजस्व प्रसंस्करण</td>
<td>5901</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>संचालक, उद्यमिका</td>
<td>5902</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>पुर्वसम</td>
<td>7401</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>संचालक, संचालक</td>
<td>7402</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>अनुदान, भु. भविष्यत के प्रति एवं राजस्व ब्लॉक विभाग</td>
<td>7408</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>विभाग</td>
<td>7409</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>राजस्व प्रबंधन विभाग</td>
<td>5202</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>संचालक, राजस्व, संचालक</td>
<td>5203</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>उद्यमिका एवं राजस्व प्रसंस्करण</td>
<td>5901</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>संचालक, उद्यमिका</td>
<td>5902</td>
</tr>
<tr>
<td>बजट शाखा</td>
<td>किमान</td>
<td>बजट निर्देश अधिकारी</td>
<td>विनंबर</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>उप सचिव</td>
<td>0108</td>
<td>सचिव, लोकक्षेत्र</td>
<td>02-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>Tel. 2512304</td>
<td>0109</td>
<td>सचिव, लोक सेवा आयोग</td>
<td>09-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>Mb. 5659381779</td>
<td>0110</td>
<td>महानिदेशक, प्रशासन अकादमी</td>
<td>09-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>भी सचिव सुन्दर</td>
<td>0111</td>
<td>मुख्य उच्चाधिकारी (सलाहकार)</td>
<td>05-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>उप्र सचिव</td>
<td>0112</td>
<td>प्रशासन के सचिव/सीई सचिव</td>
<td>05-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>Tel. 2512206</td>
<td>0117</td>
<td>महानिदेशक, राज अधिक अपराष्ट्रीय अन्येषण मण्डल, ग प</td>
<td>06-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>Mb. 5659430250</td>
<td>0118</td>
<td>सचिव, राज निवास अधिकारी</td>
<td>06-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>0119</td>
<td>सचिव, राज रजिस्ट्री आयोग</td>
<td>07-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>गृह</td>
<td>0261</td>
<td>सचिव, मध्य प्रदेश राज्य, गृह विभाग</td>
<td>07-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>0264</td>
<td>महानिदेशक, पुलिस, मध्य प्रदेश</td>
<td>16-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0265</td>
<td>प्रभु बेन कोर्ट (पह बेद) एवं बाणिज्य एवं संयुक्त मूल्य, नकाश</td>
<td>16-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0267</td>
<td>सचिवालाक, राज्य कल्याण मध्य प्रदेश</td>
<td>09-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0268</td>
<td>सचिवालाक, महिला ट्रस्ट महाकर्मक</td>
<td>09-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0269</td>
<td>सचिवालाक, लोक अधिकार नगरी</td>
<td>16-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0270</td>
<td>अधिकारी, रेड पैराक्स</td>
<td>19-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0271</td>
<td>सचिवालाक, राज्य लंबावल कल्याण</td>
<td>19-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पेट्रॉलियम</td>
<td>0302</td>
<td>महानिदेशक, पेट्रॉलियम</td>
<td>19-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>1692</td>
<td>अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्थान</td>
<td>20-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1693</td>
<td>संस्थान, राज्य वातावरण वर्ग</td>
<td>20-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1694</td>
<td>अधिकारी, संस्थान</td>
<td>20-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>मिश्रित एवं विभागीय कार्य विभाग</td>
<td>2101</td>
<td>सचिव, म. प्र. सस्थान, विभाग</td>
<td>21-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>2102</td>
<td>मुख्य निर्देश विभागीय कार्यकारी</td>
<td>22-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2103</td>
<td>प्रतिष्ठापक, राष्ट्रीय संस्थान</td>
<td>22-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>संस्थानीय कार्य विभाग</td>
<td>4601</td>
<td>सचिव, म. प्र. सस्थान, संस्थानीय कार्य विभाग</td>
<td>23-Nov-12</td>
</tr>
<tr>
<td>4802</td>
<td>सचिव मध्य प्रदेश विभाग संस्थानीय कार्य</td>
<td>23-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B-9</td>
<td>जेल संस्थान</td>
<td>3102</td>
<td>प्रामुख अधीक्षक, जेल संस्थान</td>
</tr>
<tr>
<td>जेल संस्थान</td>
<td>3103</td>
<td>परिवेश संस्थान-पृथ्वी, जेल संस्थान</td>
<td>02-Nov-11</td>
</tr>
<tr>
<td>उप सचिव</td>
<td>नर्मदा घाटी</td>
<td>2702</td>
<td>आयु, नर्मदा विकास परिवर्तन</td>
</tr>
<tr>
<td>Tel. 2512318</td>
<td>लोक स्वस्थ्य योजनाकर्ता</td>
<td>3402</td>
<td>प्रदुषण अधिकार, लोक स्वस्थ्य योजनाकर्ता</td>
</tr>
<tr>
<td>Mb. 9425347319</td>
<td>लोक निर्माण विभाग</td>
<td>1901</td>
<td>सचिव, म. प्र. सस्थान, लोक निर्माण</td>
</tr>
<tr>
<td>1902</td>
<td>प्रामुख अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग</td>
<td>07-Nov-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mb. 9425185063</td>
<td>1903</td>
<td>प्रामुख अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग</td>
<td>07-Nov-12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. इसके किसी भी अधिकारी निपुंश का जिन वस्तुओं को दिया जायेगा जा बाद में दिया जाने के लिए निर्देशार्थी कार्यक्रम के बाद परिवर्तन का प्रयास किया जाएगा जो कि इस पच विनंबर 29/11/2012 तक पूर्ण होना उचित है।

2. इसके किसी भी अधिकारी निपुंश का जिन वस्तुओं को दिया जायेगा जा बाद में दिया जाने के लिए बाद में निर्देशार्थी कार्यक्रम का प्रयास किया जाएगा जो कि इस पच विनंबर 29/11/2012 तक पूर्ण होना उचित है।

3-समय - वर्ष एवं वर्ष का समय संख्या उप सचिव अवधि सचिव एवं विभागीय अधिकारी समय परिवर्तन का निर्देशार्थी करते।

4-प्रशासन अधिकारी अधिकारी के कम के को लिए दिया जाने की पूर्ण विनंबर का अधिकार या से उपर करने की जरूरत नहीं।

5-किसी बाद शाखा से इस कर गुरूर्फूर्ति कर इस कर जाने की जरूरत नहीं।